

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 140] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 30, 1984/वैशाख 10, 1906
No. 140] NEW DELHI, MONDAY, APRIL 30, 1984/VAISAKHA 10, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन को रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

बाट और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 1984

सा० का० नि० 316(अ):—केन्द्रीय सरकार, बाट और माप मानक अधिनियम 1976 (1976 का 60) की धारा 83 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुयें) नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम बाट और माप (पैकेज में रखी वस्तुयें) संशोधन नियम, 1984 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बाट और माप मानक (पैकेज में रखी वस्तुयें) नियम, 1977 में तृतीय अनुसूची के अंत में, टिप्पण में, “30 अप्रैल, 1984” शब्दों और अंकों के स्थान पर “31 मई, 1984” शब्द और अंक रखे जायेंगे।

[सं० फा० डब्ल्यू० एम-10 (2)/84]
एस० बी० एम० त्रिपाठी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 1984

G.S.R. 316(E).—In exercise of the powers conferred by section 83 of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Rules, 1977, namely:—

1. (1) These rules may be called the Standards of Weights and Measures (Packaged Commodities) Amendment Rules, 1984.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Standards of Weights and Measures (Packaged commodities) Rules, 1977, in the “Note” in the end of the Third Schedule, for the figures and word “30th April, 1984”, the figures and word “31st May, 1984” shall be substituted.

[F.No. WM-10 (2)/84]
S.V.M. TRIPATHI, Jt. Secy.